फर्द अहकाम

सीताराम **बनाम** [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 85/2019 प्रा. पत्र 151 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/12/19	व. प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिसमें निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 2/3/19 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसमें विवादित भूमि ख. सं. 494/1 [illegible] 495/1 [illegible], 496, 497/1 [illegible] कुल किता 4 का कुल रकबा 0.21 है० एवं ख. नं. 224 रकबा 5.33 है० पर के ग्राम कलेट पुरा के "लोक की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये हैं। अतः आशा की सीताराम करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें
		प्रा. पत्र एवं बहस का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रा. पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 2/3/19 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सीमाकरण करने की कार्यवाही प्रदान की जाती है पालना हेतु तहसीलदार चौथ को लिखा जाये। तहसीलदार चौथ 15 दिवस के पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली कोसाना [illegible] होकर उपलब्ध करें। कार्य हेतु तथा [illegible] इत्यादि

सम्बन्धित अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 11:33:25 IST
Reason: SelfAttested